न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
25/2017/प्रा.पत्र/2017	23.03.2017	23.05.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ....आवेदक

बनाम

1–श्री ललीत कुमार वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी जाति सिन्धी निवासी कुम्हारों की चौकी कप्तान साहब का घेर टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स क्योरवेल मेडिकल एजेन्सीज हॉस्पिटल रोड घण्टाघर टोंक जिला टोंक
2–मैसर्स क्योरवेल मेडिकल एजेन्सीज हॉस्पिटल रोड घण्टाघर टोंक जिला टोंक
3–श्रीमति बीना शर्मा पत्नि श्री राम प्रसाद शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स बीना ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स 8, सवाई गेटोर योजना, जे.डी.ए. कॉलोनी, सिद्वार्थ नगर, मालवीया नगर जयपुर
4– मैसर्स बीना ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स 8, सवाई गेटोर योजना, जे.डी.ए. कॉलोनी, सिद्वार्थ नगर, मालवीया नगर जयपुर
5–श्री राम प्रसाद शर्मा पुत्र श्री लादू राम शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स बायोसर्च फार्मूलेशन 8, सवाई गेटोर योजना, जे.डी.ए. कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर, मालवीया नगर जयपुर
6– मैसर्स बायोसर्च फार्मूलेशन 8, सवाई गेटोर योजना, जे.डी.ए. कॉलोनी, सिद्वार्थ नगर, मालवीया नगर जयपुर
7–श्री महेन्द्र ऑबेरॉय निवासी 278 आदर्श नगर जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स एल्फोस लेबोरेट्रीज एफ–54, मालवीया इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर राज.
8– मैसर्स एल्फोस लेबोरेट्रीज एफ–54, मालवीया इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर राज.

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थीगण स्वयं उप.।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 23.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.09.2016 को समय 02:15 पी.एम. पर मैसर्स क्योरवेल मेडिकल एजेन्सीज हॉस्पिटल रोड घण्टाघर टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री ललीत कुमार वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ फूड सप्लीमेंट व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ललीत कुमार वाधवानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में फूड सप्लीमेंट के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 68 मूल पैक **फूड सप्लीमेंट बायोलाईसिन लिक्विड (Food Supplement Biolysin Liquid)** प्रत्येक 200 मिलीग्राम के रखे हुए थे, जिसे देखने पर मिलावट की शंका हाने पर विक्रेता श्री ललीत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कुमार वाधवानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री ललीत कुमार वाधवानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **फूड सप्लीमेंट बायोलाईसिन लिक्विड (Food Supplement Biolysin Liquid)** जिसके बैच नम्बर बी.वाय.एस.–3231 एवं पैकिंग की दिनांक 07/2016 थी को ज्यों का त्यों वास्ते नमूना जांच क्रय किए जा रहे है, के 200 मिलीग्राम पैक के आठ मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **फूड सप्लीमेंट बायोलाईसिन लिक्विड (Food Supplement Biolysin Liquid)** के खरीदशुदा 8 मूल पैक प्रत्येक 200 मिलीग्राम पैक को दो–दो नग के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1422 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1422 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री ललीत कुमार वाधवानी पुत्र श्री शोभाराम वाधवानी ने मौक पर बतौर वारन्टी मैसर्स बीना ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स 8, सवाई गेटोर योजना, जे.डी.ए., कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर, मालवीया नगर जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स बीना ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स 8, सवाई गेटोर योजना, जे.डी.ए., कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर, मालवीया नगर जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज एवं बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहे गये जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स बायोसर्च फार्मूलेशन 8, सवाई गेटोर योजना, जे.डी.ए. कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर, मालवीया नगर जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स बायोसर्च फार्मूलेशन 8, सवाई गेटोर योजना, जे.डी.ए. कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर, मालवीया नगर जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज एवं बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहे गये जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स एल्फोस लेबोरेट्रीज एफ–54, मालवीया इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स एल्फोस लेबोरेट्रीज एफ–54, मालवीया इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्वयक दस्तावेज चाहे गये जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता व पैकिंगकर्ता होना स्वीकार किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए. / 16 / 5106 दिनांक 21.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 2788 / एक्ट / 2016 / 460 दिनांक 14.10.2016 के अनुसार विक्रेता श्री ललीत कुमार वाधवानी से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु कय किया गया **फूड सप्लीमेंट बायोलाईसिन लिक्विड (Food Supplement Biolysin Liquid)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **फूड सप्लीमेंट बायोलाईसिन लिक्विड (Food Supplement Biolysin Liquid)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फूड सप्लीमेंट बायोलाईसिन लिक्विड (Food Supplement Biolysin Liquid)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **फूड सप्लीमेंट बायोलाईसिन लिक्विड (Food Supplement Biolysin Liquid)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 25,000 / –(अक्षरे पच्चीस हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 25,000 / –(अक्षरे पच्चीस हजार रू0), अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 25,000 / –(अक्षरे पच्चीस हजार रू0), तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 50000 / – (अक्षरे पचास हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रकाश भानावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0